कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 28.11.2016

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2016 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में M/s Navbharat Buildcon Pvt. Ltd. द्वारा अनुबंध संख्या 09/1998–99 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Construction work of Mataji ka Khera Feeder." के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री विनोद शाह, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भांग, जयपुर द्वारा अधिकृत)

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, राजसमंद उपस्थित हुये तथा संवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

माताजी का खेडा फीडर कार्य के अनुबंध की धारा 23 के अन्तर्गत मैसर्स नवभारत बिल्डकोन प्रा. लि. मदनगंज, किशनगढ के द्वारा प्रेषित किये गये क्लेम पर पूर्व में स्टेण्डिंग कमेटी के द्वारा दिनांक 20.10.2004 को निर्णय पारित किया गया। संवेदक के द्वारा दिनांक 21.03.2005 को एक प्रार्थना पत्र मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2004 को स्टेण्डिंग कमेटी के द्वारा पारित निर्णय पंचाट को अपास्त करने बाबत माननीय जिला न्यायाधीश राजसमन्द में पेश करते हुए प्रकरण संख्या 51/05 (मु.दी. 38) दायर किया गया। माननीय जिला न्यायाधीश राजसमन्द ने अपने निर्णय दिनांक 05.02.2011 द्वारा आदेश दिया गया कि संवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मध्यस्थ अधिकरण द्वारा पारित पंचाट दिनांक 20.10.2004 को अपास्त कर शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को मामला इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह अनुबंध के क्लाज 23 के अन्तर्गत वैध मध्यस्थ अधिकरण का गठन कर पक्षकारों को विधि अनुसार पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए प्रार्थी के क्लेम का निस्तारण करावे। न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के तहत मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक 2344 दिनांक 01.07.2011 के द्वारा उक्त प्रकरण की पुनः सुनवाई हेतु वैध एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी के द्वारा दिनांक 01.11.2011 को प्रकरण में पुनः सुनवाई की गई जिसके अन्तर्गत समस्त पहलुओं पर पुनः विचार कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 20.10.2004 को कमेटी ने जो निर्णय पारित किया था, वह उचित है। अतः उसे यथावत रखा गया।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 04.06.2016 द्वारा अनुबंध के क्लाज 23 के अन्तर्गत वैध माध्यस्थम अधिकरण का गठन कर, पक्षकारों को विधि अनुसार पुनः सुनवाई का सम्यक एवं न्यायोचित अवसर प्रदान कर सकारण व्याख्या सहित माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित करते हुए प्रार्थी के क्लेम्स का निस्तारण करावें।

अधिशाषी अभियन्ता ने यह अवगत किया कि तथ्यों एवं कमेटी द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवेदक को पर्याप्त समय के साथ सुनवाई हेतु कमेटी बैठक दिनांक 23.12.2003, 04.10.2004, 20.10.2004, 01.11.2011 एवं 28.11.2016 को कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु संवेदक कमेटी के समक्ष सुनवाई हेतु किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ जिससे यह प्रकट है कि संवेदक मात्र विधिक कार्यवाही संचालित रखते हुए उनके विरूद्ध वसूली को स्थगित रखना चाहते है। अतः पूर्व निर्णय दिनांक 01.11.2011 को यथावत रखा जावे।

समस्त पहलुओं पर पुनः विचार कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 01.11.2011 को कमेटी ने जो निर्णय पारित किया था, वह उचित है। अतः उसे यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र कुमार पारीक)
अति. मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन सम्भाग,
उदयपुर

(विनोद शाह)
अति. सचिव एवं
मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन राज, जयपुर

(लोकेश तिवाड़ी)
संयुक्त विधि परामर्शी
प्रतिनिधि विधि विभाग

(जाकिर हुसैन)
संयुक्त शासन सचिव
प्रतिनिधि वित्त विभाग

(शिखर अग्रवाल)
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर।